कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

1. सामाजिक गतिशीलता व संस्थागत् विकास
(Social mobilisation and Institutional development -SMID)

स्व सहायता समूह का गठन :– एक ही स्थान पर निवासरत् स्व सहायता समूह के गठन हेतु न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 स्थाई शहरी गरीब (बी.पी.एल. कार्डधारी 70% एवं अन्य 30%) महिलाओं को जोडकर समूह का गठन किया जाता है। ताकि अपने समूह के नाम से बैंक में बचत खाता खुलवाकर बचत कर सके एवं शासन की योजनाओं तथा बीमा का लाभ उठा सके।

समूह को आवर्ती निधि :– गठित समूह के 3 माह एवं 12 बैठक पूर्ण हो जाने के पश्चात् शासन द्वारा समूह को मजबूत बनाने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में मुश्त. 10000/– रूपये की आवर्ती निधि समूह को दी जाती है।

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

क्षेत्र स्तरीय संघ (ए.एल.एफ) :– 10 से 20 समुह को जोडकर क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन किया जाता है, शासन स्तर पर क्षेत्र स्तरीय संघ का पंजीयन होने के पश्चात् उन्हें मु. 50000/– रूपये की आवर्ती निधि प्रदान की जाती है।

टाउन लेवल फेडरेशन (टी.एल.एफ) :– 3 क्षेत्र स्तरीय संघ को शामिल कर निर्धारित जनसंख्या के आधार पर टाउन लेवल फेडरेशन (टी.एल.एफ.) का गठन किया जाता है।

शहरी आजीविका केन्द्र :– आजीविका केन्द्र द्वारा रोजमर्रा से जुडे सेवाएं प्रदान करना लोगों को अवसर प्रदान करना एवं समूह द्वारा उत्पादित वस्तु के विक्रय हेतु स्थल उपलब्ध कराना, पेटिंग दीवार लेखन, फोटोकॉपी, कोरियर सेवा, रेल्वे आरक्षण सेवा, बस आरक्षण, कैब सर्विस, दैनिक मजदूर इत्यादि के सेवाओं से जुड़े दक्ष/प्रशिक्षित लोग आजीविका केन्द्र में अपना पंजीयन निर्धारित शुल्क जमा कर इस सुविधा का लाभ ले सकते है।

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

स्व–रोजगार कार्यक्रम
(Self employement Programme- SEP)

व्यक्तिगत उद्यम ऋण :– व्यक्तिगत व्यवसाय या उद्यम के लिए इच्छुक शहर के स्थाई शहरी गरीब 2 लाख तक के ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।

समूह उद्यम ऋण :– सामूहिक उद्यम या व्यवसाय के लिए इच्छुक शहर के स्थाई निवासी न्यूनतम 3 सदस्य 70% शहरी गरीब शामिल होते हुए अधिकतम 2 लाख प्रति सदस्य या समूह में कुल 10 लाख तक का ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।

योग्यता :– न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, आवेदित व्यवसाय की सम्पूर्ण जानकारी एवं अनुभव।

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

आवेदन एवं वांछित दस्तावेज :– बैंक से सलाह करने के उपरांत कार्यक्रम के कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर बी0पी0एल0 एवं राशन कार्ड, आधार कार्ड, परियोजना प्रस्ताव, पोस्ट कार्ड, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी कार्ड, व्यक्तिगत बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।

लाभ :– व्यक्तिगत एवं समूह उद्यमों को स्थापित करने के लिए स्वीकृत ऋण पर नियमित ऋण अदायगी में ब्याज में 7% दर के ऊपर ब्याज दर पर छूट उपलब्ध कराई जाएगी।

बैंक लिकेंज :– कार्यक्रम अन्तर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों जिन्हें आवर्ती निधि प्राप्त होने के 6 माह उपरांत प्रक्रिया कर बचत संबंधी ऋण (बैंक लिकेंज) दिया जा सकता है, जिसमें 7% दर से अधिक और ऊपर ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। एवं नियमित ऋण अदायगी में 5% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी।

नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

आवेदन - पत्र

वर्ष 2016-17

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिये

पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए

(शासकीय अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित होना आवश्यक है)

1. प्रकरण क्रमांक
2. मुहल्ला तथा वार्ड
3. पात्रता (अ) गरीबी रेखा का सर्वे क्रमांक..............................

   (ब) गरीबी रेखा सर्वे क्रमांक ना होने पर टारक फोर्स समिति द्वारा साक्षरता के माध्यम से पात्रता पर निर्णय लिया जा सकता है ।

   (स) शैक्षणिक योग्यता

   (द) विगत तीन वर्ष से निकाय क्षेत्र में निवास प्रमाण पत्र

   (इ) योजना का नाम-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उद्यम का नाम-

   (ई) 1. ऋण राशि : -

   2. मार्जिन मनी : -

आवेदक/आवेदिका का वर्ग - अनु. जाति/अनु ज. जाति/पिछड़ा वर्ग / सामान्य/ अल्प संख्यक/ विकलांग :-

1. आवेदक का नाम : ....
2. आवेदक के पिता / पति का नाम : ....
3. आवेदक का पूर्ण पता : ....

(अनिवार्य रुप आबंटित एवं साईन करें)

5. आवेदक का पत्र व्यवहार का स्थायी पूर्ण पता : ....

   : ....

   : ....

   मोबाईल नं. / पिन कोड सहित : ....

6. उम्र दिनांक ....माह.....................वर्ष..............................
7. क्या उम्मीदवार विकलांग है ? हाँ अथवा नही : ....

   प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक : ....

9. क्या आवेदक अनु.जाति/अनु.ज. जाति/पिछड़ा वर्ग का है । (प्रमाण – पत्र संलग्न करें) : ....

10. क्या आवेदक अल्प संख्यक समुदाय का है ? हो तो किस समुदाय का उल्लेख करें । : ....

11. प्रस्तावित – उद्योग व्यवसाय पर तकनीकी प्रशिक्षण का विवरण : ....

12. परिवार की कुल आय एवं जीवन स्तर शपथ पत्र अनुसार. : ....

13. उद्योग एवं व्यवसाय हेतु आवश्यक : ....
(अ) धनराशि ....रुपये
(ब) मार्जिन ....रुपये
(5 % ऋण राशि का)

14. क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के किसी वित्तीय संस्थान बैंक से ऋण लिया गया है ? यदि हाँ तो बकाया राशि का विवरण

15. टी.एफ.सी की बैठक में आवेदक को उपस्थित होकर अपने उद्यम/ व्यवसाय संचालन हेतु जानकारी / सहमति देना होगा ।

प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना सही है और मैने उपरोक्त प्रस्तावित उद्योग व्यवसाय में प्रतिष्ठान के लिए किसी बैंक वित्तीय संस्थान से ऋण की व्यवस्था नही की है । अधूरे विवरण आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।

परियोजना अधिकारी
हस्ताक्षर

आवेदक का नाम/पता/हस्ताक्षर

संलग्न :-

1. अंक सूची की फोटो कापी (यदि हो तो)
2. राशन कार्ड निवासी प्रमाण पत्र की फोटो कापी
3. वोटर आई.डी. कार्ड
4. जाति प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
5. पोस्ट कार्ड दो स्वयं का पता लिखा
6. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
7. आधार कार्ड की फोटो कापी
8. बैंक पास बुक की फोटो कापी

परियोजना प्रपत्र (प्रोजक्ट प्रोफाइल) का प्रारूप

(1.0) सामान्य जानकारियों

उद्यमी / उद्यमियों का नाम : ....

इकाई का नाम : ....

परियोजना : ....

प्रमुख प्रस्तावित उत्पाद : ....

संगठन का प्रकार :- (स्वामित्व / साझेदारी / कम्पनी / सहकारी संस्था / अन्य)

(1.1) शैक्षणिक योग्यता

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्रमुख विषय	अन्य विवरण

(1.2) तकनीकी अथवा विशिष्ट योग्यता

विवरण	संस्था	अवधि	उपलब्धि

(1.3) कार्यानुभव (पूर्व एवं वर्तमान)

संस्था / संगठन का नाम	पद	कार्य की प्रकृति	अवधि

(1.4) उत्पादन के बारे में विवरण एवं उत्पादित / बिक्री की जाने वाली वस्तुओं अथवा दी जाने वाली सेवाओं की विशेषत

/ गुण / उपयोग -

....

....

....

....

(1.5) प्रस्तावित उत्पादन के प्रमुख उपभोक्ता (प्रस्तावित उत्पादों के लिए बाजार प्रबंध क्या है)

....

....

....

....

(1.6) प्रस्तावित योजना का प्रकार — निर्माण/व्यवसाय/सेवा

(1.7) परियोजना के आधार पर परिकल्पनायें –

(क) इकाई में कितनी पालियों में कार्य होगी ?

(ख) इकाई वर्ष में कितने दिन कार्य करेगी ?

इकाई के वित्तीय पहलू

(2) कुल प्राप्तियों का विवरण

क्रमांक	उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं/प्रदाय की जाने वाली सेवाओं का विवरण	संख्या/मात्रा	बिक्री दर (रुपये में)	कुल प्राप्तियाँ	अन्य विवरण (रिमार्क)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	कुल योग				

(3) मशीनरी, उपकरण तथा फर्नीचर

क्रमांक	मशीनरी तथा उपकरण का विवरण	संख्या	दर (रु. में)	कुल मूल्य (रु.में)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
			कुल योग	

कार्यशाला पूंजी की आवश्यकता

(4) कच्चे माल की लागत

क्रमांक	विवरण	मात्रा	दर	कुल लागत (रु.में)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
			कुल योग	

(4.1) अन्य मासिक खर्च

क्रमांक	विवरण	राशि
1.	कर्मचारी/कारीगर	
2.	बीमा व्यय	
3.	किराया (यदि बिल्डिंग किराये पर हो)	
4.	बिजली, ईंधन, पानी	
5.	स्टेशनरी /पोस्टेज	
6.	मशीनरी, रख–रखाव तथा मरम्मत व्यय	
7.	यात्रा व्यय	
8.	मोबाईल खर्च	
9.	ऋण पर ब्याज	
10.	ऋण पर मासिक किरत्त	
11.	शुल्क	
12.	अन्य	
	कुल योग –	

(5) इकाई की कुल परियोजना लागत **(लागत रु. में)**

क. स्थाई पूंजी निवेश (क्रमांक 3 से)	
ख. कार्यशील पूंजी (क्रमांक 4 से)	
ग. अन्य मासिक खर्च (क्रमांक 4.1 से)	
कुल लागत रु. में	

(6) इकाई की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्रोत : राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास अंतर्गत

क्रमांक	विवरण	राशि	रिमार्क
1.	ऋण		
2.	स्वयं की पूंजी (5%)		
3.	कुल योग –		

(7) वार्षिक लाभ – हानि विश्लेषण

क्रमांक	विवरण	राशि
1.	बिक्री से कुल प्राप्तियां	
2.	कच्चे माल पर खर्च (क्र. 4)	
3.	अन्य मासिक खर्च (क्र. 4.1)	
4.	मूल्य हास – 10% (क्र. 3)	
5.	सकल लाभ (1-2+3+4)	
6.	व्यवसाय कर (अगर हो तो)	
7.	निकासी (अपना मासिक खर्च)	
8.	शुद्ध लाभ (5-6+7)	
	कुल योग –	

टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदन /निरस्त :-

टास्क फोर्स समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता
(Support to urban street vendors – SUSV)

शहरी पथ विक्रेता :– पथ विक्रेताओं को जैसे–फल सब्जी का व्यवसाय करने वालों का व्यवस्थित कर उन्हें निर्धारित स्थल चिन्हांकित कर प्रदान करना। इन व्यवसायियों का सर्वे कराकर परिचय पत्र प्रदान करना जिससे एक लाइसेंस के रूप में निर्धारित स्थल में व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान किया जा सके।

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम. स्वनिधि) :– कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के सामाना या सेवाएं, चीजे, खाद्य सामाग्री अथवा किसी अस्थाई रूप से बने हुए स्टॉल से या फिर गली–गली घूमकर, फुटपाथ/रास्ते पर अपनी सेवाएं प्रदान करता हों। इनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं में सब्जियां, फल, वस्त्र, दस्तकारी उत्पाद, पुस्तकें/लेखन सामाग्री इत्यादि ऐसे वेन्डर्स कों प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि से मु. 10000/– का लोन प्रदान किया जाता है।

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता
(Support to urban street vendors – SUSV)

पंजीयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. सीधे वेबसाईट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in में ऑनलाईन आवेदन अथवा कार्यालय नगर पालिक निगम के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के शाखा तहसीलदार के बाजू भिलाई मे आवेदन जमा कर सकते है।

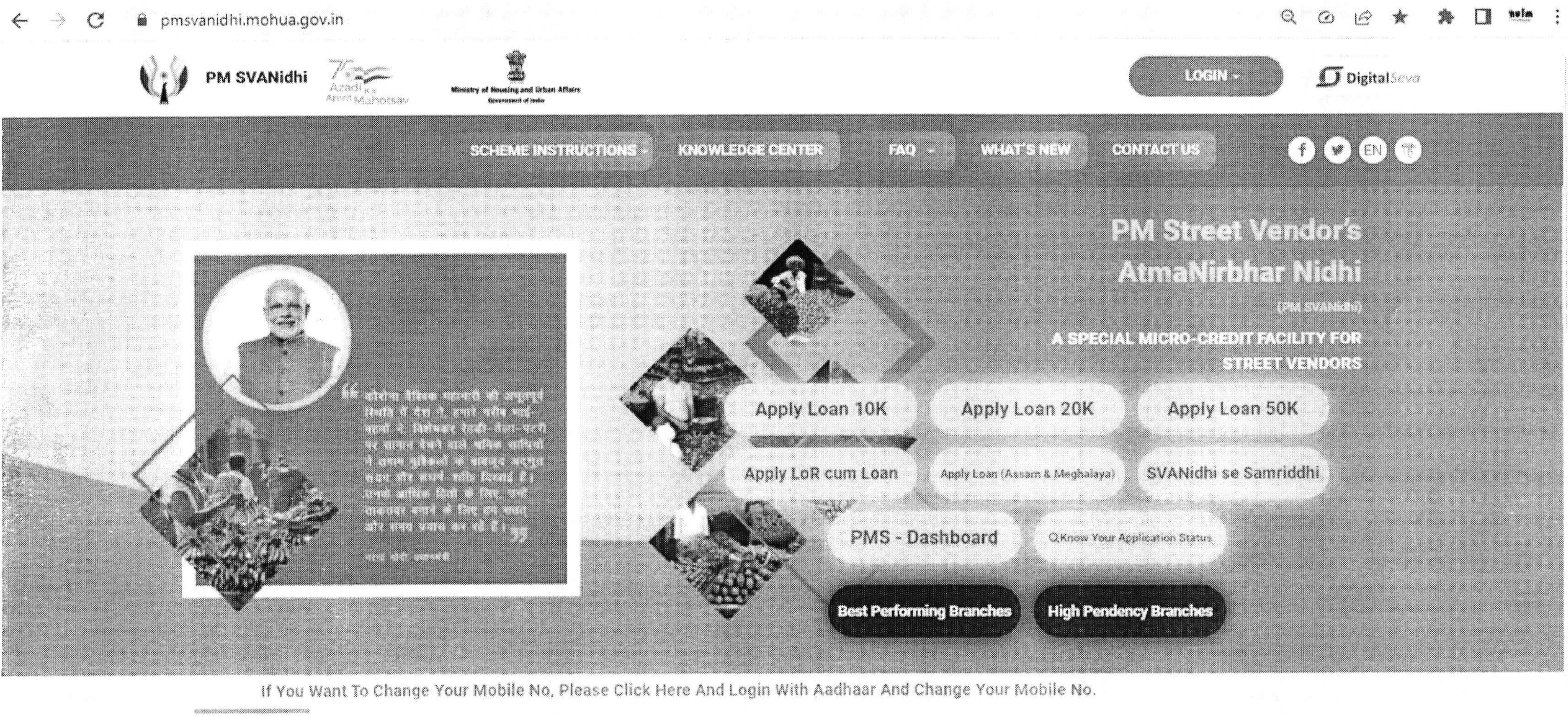
pmsvanidhi.mohua.gov.in
PM SVANidhi
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
LOGIN
DigitalSeva
SCHEME INSTRUCTIONS
KNOWLEDGE CENTER
FAQ
WHAT'S NEW
CONTACT US
EN
PM Street Vendor's
AtmaNirbhar Nidhi
(PM SVANidhi)
A SPECIAL MICRO-CREDIT FACILITY FOR
STREET VENDORS
Apply Loan 10K
Apply Loan 20K
Apply Loan 50K
Apply LoR cum Loan
Apply Loan (Assam & Meghalaya)
SVANidhi se Samriddhi
PMS - Dashboard
Know Your Application Status
Best Performing Branches
High Pendency Branches
If You Want To Change Your Mobile No, Please Click Here And Login With Aadhaar And Change Your Mobile No.

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता
(Support to urban street vendors – SUSV)

स्वनिधि से समृद्धि :– पी एम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभार्थी पथ विक्रेताओं को पी एम स्वनिधि से समृद्धि योजना में लाभार्थी एवं उनके परिवारों को प्रदत्त योजनाएं :–

1- PM Suraksha Bima Yojana
2- PM Jeevan Jyoti Bima Yojana
3- PM Shram Yogi Mandhan Yojana
4- PM Jan Dhan Yojana
5- One Nation One Ration Card*
6- Registration under BoCW
7- Janani Suraksha Yojana
8- PM Matru Vandana Yojana

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

आश्रय स्थल
Support for urban homeless (SUH)

आश्रय स्थल :– शहरी बेघर व्यक्तियों के लिये यह एक आश्रय योजना है। इस योजना में बाहर से आये विद्यार्थी व्यक्ति जिनके पास दो या तीन दिन ठहरने की व्यवस्था नही हो पाता वे अपना परिचय पत्र दिखाकर निःशुल्क रह सकते है।

भिलाई में कुल 5 आश्रय स्थल हैं।

1. प्रियदर्शनी परिसर – 50 बिस्तर
2. नेहरू भवन – 20 बिस्तर
3. आकाश गंगा – 20 बिस्तर
4. आमोद भवन – 20 बिस्तर
5. वशाली नगर – 20 बिस्तर